

राजस्थान सरकार



सं. १११११३

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 18/35/ 1987-88

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान का  
राजस्थान राजस्थान का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया  
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 22 माह जुलै सन् एक हजार नौ सौ सत्तर को  
राजस्थान में दिया गया।

Yar  
रजिस्ट्रार संस्थाप

राज्य के अधिकार प्रशासन, प्रयत्न

Arjans  
PRINCIPAL  
R P S CHIRAWA  
DISTT. JHUNJHUNU (RAJ.)

Sar  
सचिव  
राजस्थान पब्लिक स्कूल समिति  
चिडावा, जिला झुंझुनू (राज.)